दिनांक	आज्ञा पत्र	
5.4.2018	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । विद्वान वकील उभयपक्षों ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-1 के मध्य आपस में लोक अदालत मी भावना से राजीनामा कर लिया जिसके अनुसार ख0नं0 323 व 324 की दक्षिणी सींव के सहारे सहारे ख0नं0 323 मे से 37.91मीटर लम्बाई गुणा 3.40 मीटर चौडाई कुल 0 128.19 मीटर तथा ख0नं0 324 में से 80.18 मीटर लम्बाई गुणा 3.40 मीटर चौडाई कुल 271.82मीटर अर्थात कुल 400 मीटर रास्ते के रूप में रेस्पोडेन्ट सं0 -1 अपनी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 322 की पूर्वी सींव के सहारे सहारे 166.7 मीटर लम्बाई गुणा 2.40 मीटर चौडाई कुल 400 मीटर भूमि रास्ते में जाने वाली भूमि के बराबर देने में सहमत है ।मौके पर इसी अनुसार रास्ता कायम किये जाने पर उभयपक्षों ने सहमति जाहिर की है । पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हुआ है जो पक्षकारो के हित में उचित एवं विधिक है। मुताबिक राजीनामा हम अपील स्वीकार कर प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार रास्ता कायम किया जाना उचित मानते हैं । अतः अपील अपीलान्ट मुताबिक राजीनामा स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी खण्डेला का निर्णय दिनांक 27-12-2017 खारिज किया जाता है तथा मुताबिक राजीनामा एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं । राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे ।राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा ।पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय सुनाया गया ।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official